रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26092022-239124
SG-DL-E-26092022-239124

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022/आश्विन 1, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 264
No. 429]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022/ASVINA 1, 1944	[N. C. T. D. No. 264

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(दिल्ली सरकार के अधिनियम 2009 की संख्या 6 के अधीन स्थापित)

(पूर्ववर्ती दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 सितम्बर, 2022

फा. सं. डीटीयू/परिषद्/बीओएम–एसी/अधिसूचना/31/2018/1759.—दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का दिल्ली अधिनियम संख्या 6) की धारा 32, उपधारा (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रबंधक मंडल ने, अध्यादेश (छठवां), 2020 का अनुमोदन किया जो **"विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना"**,से संबंधित है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ होने की तारीख :

(क) इस अध्यादेश को दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (छठवां) अध्यादेश, 2020 कहा जाएगा। यह अध्यादेष **"विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना"**,से संबंधित है।

(ख) यह अध्यादेष राजपत्र में इसके प्रकाषन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएं

(1) इन अध्यादेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) **''अधिनियम'', ''संविधि'', ''अध्यादेश'' और ''विनियम''** का अर्थ क्रमशः दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 6), दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संविधि, अध्यादेश और विनियम है।

(ख) **''विभाग'', और ''स्कूल''** का अर्थ क्रमशः दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग और अध्ययन केन्द्र है।

(2) इन अध्यादेशों में प्रयुक्त, लेकिन परिभाषित न किए गए, शब्द और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा जो अधिनियम और संविधि में उनसे अभिप्रेत है।

3. कुलपति में निहित शक्तियां

(1) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखने और लागू करने तथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने संबंधी समस्त अधिकार कुलपति के पास होंगे।

(2) कुलपति अपने सभी या कुछ अधिकार स्वयं के द्वारा निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारियों और प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं, जिन्हें वे उचित समझते हों।

4. अनुशासनहीनता और दुराचरण कृत्य/कार्य

(1) इस अध्यादेश के अंतर्गत अनुशासन लागू करने या बनाए रखने संबंधी अधिकारों की व्यापकता पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, विश्वविद्यालय के किसी विद्यार्थी के निम्नांकित कृत्य अनुशासनहीनता और दुराचरण माने जाएंगे :–

क. विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग याअध्ययन केन्द्र के शिक्षण या गैर शिक्षण कर्मचारी, या किसी भी विद्यार्थी पर शारीरिक हमला, या शारीरिक बल प्रयोग की धमकी देना।

ख. किसी भी क्लास टेस्ट, किसी परीक्षा या किसी अन्य ऐसी पाठ्य या पाठ्येतर गतिविधि से अनुपस्थित रहना, जिसमें उसका भाग लेना आवश्यक हो।

ग. कोई हथियार रखना या उसका इस्तेमाल करना या इस्तेमाल की धमकी देना।

घ. किसी विद्यार्थी, शिक्षक या विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी केप्रति दुर्व्यवहार, अपशब्दों का इस्तेमाल करना या क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना।

ङ. किसी योग्य चिकित्सक द्वारा निर्दिष्ट दवा को छोड़कर किसी नशीली दवा या अन्य माद्क पदार्थों का सेवन।

च. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन।

छ. हिंसा में लिप्त होना या हिंसा को बढावा देना या नैतिक पतन की हरकतों में

शामिल होना।

ज. किसी भी प्रकार का जुआ खेलना।

झ. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी विद्यार्थी के सम्मान, गरिमा या स्थिति को चोट पहुंचाना।

ञ. जाति, नस्ल, भाषा, मूल स्थान, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या इनमें से किसी भी आधार पर किसी विद्यार्थी या विश्वविद्यालय कर्मचारी से भेदभाव करना।

ट. किसी भी प्रकार से जातिवाद और अशपृश्यता संबंधी व्यवहार करना या किसी अन्य को ऐसा करने के लिए उकसाना।

ठ. महिलाओं के सम्मान और गरिमा के खिलाफ किसी भी प्रकार की भाव भंगिमा, चाहे मौखिक हो या शारीरिक या अन्य प्रकार से।

ड. तंबाकू, शराब या धूम्रपान का सेवन।

ढ. रिश्वत देने की कोशिश या किसी अन्य प्रकार से भ्रष्टाचार।

ण. विश्वविद्यालय की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना।

त. विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की दबंगई, आपा खोना या अभद्र व्यवहार करना या किसी अन्य को ऐसा करने के लिए उकसाना।

थ. सांप्रदायिक या कट्टरवाद के आधार पर विद्यार्थियों के बीच असहनशीलता या दुर्भावना भड़काना और एकताभंग करना या किसी अन्य विद्यार्थी को ऐसा करने के लिए उकसाना।

द. विश्वविद्यालय प्रणालीके शैक्षणिक कामकाज को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाना।

ध. टेस्ट, परीक्षा या विश्वविद्यालय की किसी अन्य गतिविधि में किसी भी प्रकार से बाधा डालना या ऐसा करने के लिए उकसाना।

न. कक्षाओं या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में अनुपस्थित रहना।

(2.) कुलपति उपरोक्तखंड (1) के अंतर्गत दुराचरणों की सूची में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकते हैं।

5.. अनुशासन भंग करने के लिए दंड

कुलपति अनुशासन बनाए रखने संबंधी अपने अधिकारों की व्यापकता पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, अनुशासन बनाए रखने के लिए स्वयं को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नांकित आदेश या निर्देश दे सकते हैंः–

(1) कुलपति अपने उपर्युक्त अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी भी विद्यार्थी या विद्यार्थियों को निम्नांकित आदेश या निर्देश दे सकते हैं :–

(क) विश्वविद्यालय से बर्खास्त कर दिया जाए, इस स्थिति में वह विश्वविद्यालय में जहां से उसे बर्खास्त किया गया है, दोबारा प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं होगा; या

(ख) निर्धारित अवधि के लिए उसे निष्कासित कर दिया जाए जिसमें वह निष्कासन की अवधि समाप्त होने तक प्रवेश नहीं ले सकेगा; या

(ग) उसे एक निश्चित अवधि के लिए विश्वविद्यालय छात्रावास/आवास कक्ष से निकाल दिया जाए।

(घ) उसे विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन पाठ्यक्रम में एक निश्चित अवधि तक प्रवेश न दिया जाए; या

(ङ) एक निश्चित धनराशि का जुर्माना लगाया जाए; या

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षा या परीक्षाओं से एक या अधिक वर्षों तक वंचित रखा जाए।

(2) कुलपति अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए, अनुशासन मंडल की सिफारिशों पर संबंधित विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम रद्द करने का आदेश या निर्देश दे सकते हैं।

(3) अधिष्ठाता, विद्यार्थी अनुशासन, शिक्षण विभाग और अध्ययन केन्द्र प्रमुख, विभिन्न छात्रावासों के वार्डन, पुस्तकालय अध्यक्ष और विश्वविद्यालय में किसी केंद्रीकृत सुविधा केंद्र के प्रभारी को भी अपने कार्यक्षेत्र में विद्यार्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। यह कार्यवाही विभाग, छात्रावास, पुस्तकालय, केंद्रीय सुविधा के समुचित कामकाज को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक मानी जाएगी। कार्यवाही में चेतावनी जारी करना, क्लास/हॉस्टल से निलंबित करना और/या अधिकतम एक महीने के लिए केंद्रीय सुविधाओं के उपयोग से वंचित रखना शामिल है। हालांकि, इन सभी मामलों में अंतिम निर्णय अनुशासन मंडल का होगा।

6. रैगिंग

इस अध्यादेश के उद्देश्य के संबंध में रैगिंग का सामान्य अर्थ ऐसा कार्य, आचरण या गतिविधि है जिसके द्वारा सीनियर विद्यार्थी अपनी स्थिति और हावी होने की शक्ति का प्रयोग जूनियर या किसी भी प्रकार से कमजोर विद्यार्थियों पर करते हैं। रैगिंग में व्यक्तिगत या सामूहिक निम्न कार्य शामिल हैः–

(क) शारीरिक हमलाया शारीरिक बल के इस्तेमाल की धमकी देना।

(ख) विद्यार्थियों के दर्जे, गरिमा या सम्मान का उल्लंघन, विशेष रूप से महिला/छात्राओं तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के प्रति।

(ग) विद्यार्थियों को कोई ऐसा मजाक उड़ाने वाला, अशोभनीय या अवमानना का कार्य करने को बाध्य करना जिससे उनका आत्मसम्मान कम होता हो।

(घ) अपशब्दों का प्रयोग, मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताडित करना, ताकत के बल पर हावी होना, शारीरिक दंड देना, परेशान करना, आघात पहुंचाना, अशोभनीय भावभंगिमा और अश्लील व्यवहार।

(अ) रैगिंग में कौन सी बातें शामिल हैं?

रैगिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक या अधिक व्यवहार आते हैं:

(क) कोई भी ऐसा आचरण जिसके द्वारा कोई विद्यार्थी, किसी नए विद्यार्थी को या किसी अन्य विद्यार्थी को शब्दों या लिखित बातों या व्यवहार से परेशान करता है या क्रूरता बरतता है।

(ख) किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा दबंगई या अनुशासनहीन कार्रवाई जिसकी वजह से परेशानी, कठिनाई, शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचती हो या किसी प्रकार का भय या आशंका पैदा होती हो।

(ग) किसी भी विद्यार्थी को कोई ऐसा कार्य करने को कहना जो सामान्य गतिविधि की श्रेणी में न आता हो और जिसकी वजह से शर्म, अपमान, और ग्लानि होती हो और जिससे नए विद्यार्थी या प्रताड़ित विद्यार्थी को शारीरिक या मानसिक नुकसान उठाना पड़ता हो।

(घ) किसी सीनियर विद्यार्थी की ऐसी हरकत जिससे नए विद्यार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी की नियमित शैक्षणिक गतिविधि बाधित होती हो।

(ङ) व्यक्तिगत या विद्यार्थी समूह को सौंपे गए शैक्षणिक कार्य को पूरा करने में किसी भी नए या अन्य विद्यार्थी का शोषण करना।

(च) विद्यार्थियों द्वारा किसी नए विद्यार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी से धन वसूली या जबरन खर्च करवाने की कार्रवाई।

(छ) सभी प्रकार की शारीरिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न, समलैंगिक उत्पीड़न, निर्वस्त्र करना, जबरन अशोभनीय आचरण, शारीरिक क्षति पहुंचाना या स्वास्थ्य को किसी अन्य प्रकार से क्षति पहुंचाना।

(ज) मौखिक शब्दों, ई–मेल, डाक द्वारा दुराचरण की कार्यवाही, सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, नए विद्यार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी को प्रताड़ित करने की विकृत मानसिकता से आनंद उठाना।

(झ) कोई भी ऐसी अन्य कार्यवाही जिसे नए विद्यार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती हो या उसका आत्मविश्वास डगमगाता हो या अपनी ताकत प्रदर्शित करने की या दूसरे को कष्ट देकर आनंद उठाने की कार्रवाई।

(आ) रैगिंग की रोकथाम

(क) विश्वविद्यालय परिसर में और विश्वविद्यालय प्रणाली के किसी भी हिस्से में और सार्वजनिक परिवहन या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थलों पर किसी भी प्रकार की रैगिंग कड़ाई से प्रतिबंधित है।

(ख) रैगिंग की किसी भी प्रकार की निजी या सामूहिक कार्यवाही अनुशासनहीनता मानी जाएगी और इस पर संबंधित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही होगी।

(ग) विभाग/अध्ययन केन्द्र प्रमुख, प्रॉक्टर, छात्रावासवार्डन, पुस्तकालय अध्यक्ष, किसी केंद्रीय सुविधा के प्रभारी, सुरक्षा अधिकारी या विश्वविद्यालय के फैकल्टी सदस्य रैगिंग की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्यवाही करेंगे।

(घ) उपरोक्त खंड (ग) में किसी बात के होते हुए भी, विद्यार्थी अनुशासन से संबंधित अधिष्ठाता,रैगिंग की किसी घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी जांच कर सकते हैं और रैगिंग और इस तरह की घटना में शामिल लोगों की पहचान की एक रिपोर्ट कुलपति को देंगे।

(ङ) विद्यार्थी अनुशासन से संबद्ध अधिष्ठाता, कुलपति को आरंभिक रिपोर्ट भी सौंप सकते हैं, जिसमें रैगिंग की घटना और इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान का उल्लेख हो।

(च) यदि विभाग/अध्ययन केन्द्र प्रमुख, प्रॉक्टर, मुख्य वार्डन, पुस्तकालय अध्यक्ष केंद्रीय सुविधा प्रभारी और विद्यार्थी अनुशासन से संबद्धअधिष्ठाता, किसी कारणवश घटना लिखित में दर्ज करने और इस प्रकार की जांच को अव्यावहारिक मानते हैं तो वे कुलपति को इस बारे में परामर्श दे सकते हैं।

(छ) यदि कुलपति इस बात से संतुष्ट होते हैं कि रैगिंग की घटना की जांच जरूरी नहीं है तो इस बारे में उनका निर्णय अंतिम होगा।

(ज) उपरोक्त खंड (घ) या खंड (ङ) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर अथवा खंड (च)के अंतर्गत संबद्ध अधिकारी से खंड 4(1) में वर्णित रैगिंग की कोई घटना घटित होने की सूचना मिलने पर, कुलपति समुचित दंडात्मक कार्यवाही का निर्णय लेंगे, जिनमें विद्यार्थी या विद्यार्थियों को किसी अध्ययन पाठ्यक्रम या वि"वविद्यालय से बर्खास्त करना या एक या अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित करना, विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठनेपर रोक लगानाऔर/या इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय से निर्दिष्ट कोई अन्य दंडदे सकते हैं।

(झ) कुलपति रैगिंग के अन्य मामलों में किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों को निष्कासित करने या किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेष या किसी परीक्षा में बैठने पर एक या अधिक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के लिए रोक लगाने या विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा दी गई परीक्षा के परिणाम रद्द करने के आदेष या निर्देष दे सकते हैं।

(ञ) ऐसे मामले में जिसमें दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर चुका विद्यार्थी इस अध्यादेश के तहत दोषी पाया जाए तो विश्वविद्यालय द्वारा उसे दी गई डिग्री वापस लेने की समुचित कार्यवाही की जाएगी।

(ट) इस अध्यादेश के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार से रैगिंग के लिए उकसाना भी रैगिंग करने के बराबर अपराध माना जाएगा।

(ठ) सभी विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र की शुरुआत में विश्वविद्यालय में लिखित हलफनामा देना होगा कि वे रैगिंग की किसी भी कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे।

7. विद्यार्थी द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली घोषणा

प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी को शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह विश्वविद्यालय, कुलपति और अन्य प्राधिकरणों के अनुशासनात्मक न्याय क्षेत्र के दायरे में रहेंगे।

8. अनुशासन मंडल का गठन

(1) विश्वविद्यालय स्तर पर अनुशासन मंडल का गठन कुलपति द्वारा इस प्रकार किया जाएगा :–

(क) अधिष्ठाता, विद्यार्थी अनुशासन।

(ख) विश्वविद्यालय छात्रावास के मुख्य वार्डन।

(ग) कुलपति द्वारानामित वि"वविद्यालय के दो वरिष्ठ षिक्षक।

(घ) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की एक वरिष्ठ महिला शिक्षक।

(ङ) संबंधित विभाग/स्कूल के प्रमुख व छात्रावास वार्डन जिनके छात्रावास में अनुशासनहीनता या दुराचरण घटित हुआ हो। अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय अनुशासन यदि महसूस करते हैं कि बेहतर जांच के लिए विद्यार्थियों से जानकारी लिया जाना जरूरी है तो वे विद्यार्थियों से इस बारे में पूछताछ कर सकते हैं।

(च) सहायक कुल सचिव (शैक्षणिक) अनुशासन मंडल के सदस्य सचिव होंगे।

(छ) अधिष्ठाता, विद्यार्थी अनुशासन सहित मंडल के सदस्यों का कार्यभार दो वर्ष का होगा और अनुशासन बोर्ड में रिक्ति होने पर इसे संबंधित सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए उसी विभाग के अन्य सदस्य से भरा जाएगा।

(ज) अधिष्ठाता, विद्यार्थी अनुशासन सहित मंडल के तीन सदस्य कोरम पूरा करेंगे।

(झ) अधिष्ठाता, विद्यार्थी अनुशासन की अनुपस्थिति में मंडल के वरिष्ठतम् सदस्य अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे।

9. **अनुशासन मंडल के कार्य**

(1) अनुशासन मंडल इन कार्यों का निष्पादन करेगा।

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखने से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श।

(ख) किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा अनुशासनहीनता या दुराचरण के किसी मामले के संज्ञान में आने पर इसकी जाँच करना तथा जाँच के उपरांत इस अध्यादेष के प्रावधान के तहत अपने निष्कर्ष, सिफारिशें तथा दंड की कुलपति या कुलपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अनुषंसा करना।

(ग) विश्वविद्यालय में अनुशासन के माहौल का निरीक्षण और निगरानी रखना।

(घ) नोटिस जारी करने, चेतावनी, निर्देश देने जैसे ऐहतियाती उपाय करना ताकि व्यक्तिगत या सामूहिक अनुशासनहीनता, दुराचरण और रैगिंग की कार्यवाही पर रोक लगाई जा सके।

(ङ) पुलिस प्राधिकरणों और संबंधित सरकारी विभागों, पड़ोसी शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकरणों के साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संपर्क बनाए रखना।

(च) समय–समय पर कुलपति द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले में विद्यार्थी या विद्यार्थियों पर लगाए गएदंड या जुर्माने के बारे में फैसला अधिष्ठाता, विद्यार्थी अनुशासन द्वारा संप्रेषित किया जाएगा।

(3) यदि विद्यार्थी अपने ऊपर लगाए गए दंड से असहमत है तो वे कुलपति के पास अपील कर सकते हैं। इस संबंध मेंकुलपति का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

10. अधिनियम और कानूनों और इन अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन, इन अध्यादेषों में शामिल नहीं किए गए मुद्दे या व्याख्या के मतभेदों की स्थिति में, कुलपति किसी अधिष्ठाता अथवा सभी अधिष्ठाताओं की समिति की राय लेने के बाद निर्णय ले सकते हैं। कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

11. विशेष परिस्थितियों में, कुलपति, प्रबंधक मंडल की ओर से, किसी अध्यादेष के संषोधन, परिवर्तन, प्रविष्टि या विलोपन को मंजूरी दे सकते हैं, जो किसी पाठ्यक्रम के सुचारू रूप से चलने के लिए उनकी नजरों में आवष्यक या उपयोगी हो, परन्तु ऐसे सभी परिवर्तनों को अनुसमर्थन के लिए प्रबंधक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रबंधक मंडल

के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रो० मधुसूदन सिंह, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

(Established under Govt. of Delhi Act 6 of 2009)

(FORMERLY DELHI COLLEGE OF ENGINEERING)

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd September, 2022

F. No. DTU/Council/BOM-AC/Notification/31/2018/1759.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the Delhi Technological University Act, 2009 (Delhi Act 6 of 2009), the Board of Management, Delhi Technological University, hereby makes Ordinance (Sixth), 2020 relating to "Maintenance of Discipline among Students".

1. Short title andCommencement

(i) This Ordinance may be called the DelhiTechnological University Ordinance(Sixth), 2020relating to "Maintenance of Discipline among Students".

(ii) This ordinance shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. Definitions

(i) In these ordinances, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act", "statutes", "ordinances" and "regulations" mean respectively the Delhi Technological University Act, 2009 (6 of 2009), the statutes, the ordinances and the regulations of the Delhi Technological University.

(b) "Department" and "School" mean the academic department and school of Delhi Technological University.

(ii) Words and expression used, but not defined, in this ordinance shall have the meanings assigned to them in the Act and the Statutes.

3. Powers to vest in the Vice Chancellor

(i) All powers relating to maintenance and enforcement of discipline among and disciplinary action against the students of the University shall vest in the Vice Chancellor.

(ii) The Vice Chancellor may delegate all or any such of his powers, as he/she deems proper, to such other officers and authorities of the university as he/she may specify in this behalf.

4. Acts of indiscipline and misconduct

(i) Without prejudice to the generality of the power to maintain and enforce discipline under this ordinance, the following shall amount to acts of indiscipline or misconduct on the part of a student of the University :-

(a) Physical assault, or threat to use physical force, against any member of the teaching or non-teaching staff of any Department or school of the University or against any student of the University.

(b) Remaining absent from the class test or any examination or any other curricular or co-curricular activity which he/she is expected to participate in;

(c) Carrying of, use of or threat to use, any weapon:

(d) Misbehavior, using abusive language or cruelty towards any other student, teacher or any other employee of the University;

(e) Use of drugs or other intoxicants except those prescribed by a qualified doctor;

(f) Any violation of the provisions of the Civil Rights Protection Act, 1976;

(g) Indulging in or encouraging violence or any conduct which involves moral turpitude;

(h) Any form of gambling;

(i) Violation of the status, dignity and honour of a student belonging to a scheduled caste or a schedule tribe;

(j) Discrimination against any student or a member of staff on grounds of caste, creed, language, place of origin, social and cultural background or any of them;

(k) Practicing casteism and untouchability in any form or inciting any other person to do so;

(l) Any act or gesture, whether verbal physical or otherwise, derogatory to women;

(m) Consuming tobacco, liquor or smoking;

(n) Any attempt at bribing or corruption of any manner or description;

(o) Willful destruction of the property of the University;

(p) Behaving in a rowdy, intemperate or disorderly manner in the premises of the University or encouraging or inciting any other person to do so;

(q) Creating discord, ill-will or intolerance among the students or sectarian or communal grounds or inciting any other student to do so;

(r) Causing disruption of any manner or description of the academic functioning of the University system;

(s) Indulging in or encouraging any form of disruptive activity connected with tests, examinations or any other activity of the University;

(t) Truancy and unpunctuality;

(ii) The Vice chancellor may amend or add to the list of malpractices under clause (i)

5. Penalties for breach of discipline

Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action in the interest of maintaining discipline as deemed appropriate by him.

(i) The Vice Chancellor may in exercise of his powers aforesaid, order or direct that any student or students-

(a) Be expelled from the University in which case he/she shall not be re-admitted to the University, from where his expelled; or

(b) Be for a stated period, rusticated in which case he/she shall not be admitted to the University till the expiry of the period of rustication; or

(c) Be for a stated period expelled from the University Hostel/hall of residence; or

(d) Be not, for a stated period, admitted to a course or courses of study of the University; or

(e) Be imposed with the fine of a specified amount of money; or

(f) Be debarred from taking a University examination or examinations for one or more years.

(ii) The Vice Chancellor, in exercise of his/her powers aforesaid or on the recommendations of Board of Discipline, may also order or direct that the result of the student concerned of the examination or examinations at which he/she has appeared, be cancelled.

(iii) The Dean, Student Discipline, Head of Teaching Departments and schools, Wardens of different hostels, Librarian and In-charge of any centralized facilities in the university shall have the authority to exercise disciplinary powers over students in their respective domain, in the university as may be necessary for the proper functioning of the department, hostel, library, central facility, which may include issuing warning, suspension from the classes/hostels and/or debarring from using the central facilities for a maximum period of one month. However, in all such cases, the final decision shall be taken by the Board of Discipline.

6. Ragging

Ragging for the purposes of this ordinance, shall ordinarily mean any act, conduct or practice by which the dominant power or status of senior students is brought to bear upon the students who are in any way considered junior or inferior by the former and includes individual or collective acts or practices which:

(a) Involve physical assault or threat to use physical force;

(b) Violate the status, dignity and honour of students, in particular woman/girl students and those belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe;

(c) Expose students to ridicule or contempt or commit an act which may lower their self-esteem; and

(d) Entail verbal abuse, mental or physical torture, aggression, corporal punishment, harassment, trauma, indecent gesture and obscene behavior.

(A) What constitutes Ragging?

Ragging constitutes one or more of the following acts:

(a) Any conduct by any student whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other students;

(b) Indulging in rowdy or indiscipline activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;

(c) Asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;

(d) Any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;

(e) Exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students;

(f) Any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;

(g) Any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures causing bodily harm or any other danger to health or person;

(h) Any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student;

(i) Any act that affects the mental health or self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.

(B) Prohibition of Ragging

(a) Ragging in any form is strictly prohibited in University campus and any part of University system as well as on public transport or at any place, public or private.

(b) Any individual or collective act or practice of ragging constitutes gross indiscipline and shall be dealt with relevant provisions.

(c) The Head of the Department/ schools, Proctor, wardens of Hostels, Librarian, In-charge of any central facility, security officer or any faculty member of the university shall take immediate action on receipt of any information of the occurrence of ragging.

(d) Notwithstanding anything in clause (iii) above, the Dean, Student Discipline may also suo-moto enquire into any incident of ragging and make a report to the Vice Chancellor of the identity of those who have engaged in ragging and the nature of the incident.

(e) The Dean, Student Discipline may also submit an initial report to VC establishing the identity of the perpetrators of ragging and the nature of the ragging incident.

(f) If the Head of the Department/Schools, Proctor, Chief Warden, Librarian, In-charge- Central Facility and Dean, Student Discipline is satisfied that for some reason, to be recorded in writing, it is not feasible to hold such an enquiry, he/she may so advice the Vice Chancellor accordingly.

(g) When the Vice Chancellor is satisfied that it is not expedient to hold such an enquiry into an incident of ragging, his/her decision shall be final.

(h) On the receipt of a report under clause (d) of (e) or determination by the relevant authority under clause (f) disclosing the occurrence of ragging incidents described in clause 5(i), the Vice Chancellor shall take appropriate penal action which may include rustication of a student or student for a specific number of year from University, debarring from appearing in University examination and/or take any other measure as prescribed by Hon'ble Supreme Court or any Court of Law.

(i) The Vice Chancellor may in other cases of ragging order or direct that any student or students be expelled or be not for a stated period admitted to a course of study or in a University Examination, for one or more years or that the result of student/students concerned in the examination in which they appeared be cancelled.

(j) In case any students who have obtained degrees of Delhi Technological University are found guilty under this Ordinance, appropriate action for withdrawal of degrees conferred by the University shall be initiated.

(k) For the purpose of this Ordinance, abetment to ragging whether by way of any act, practice or incitement of ragging will also amount to ragging.

(l) All students shall be required to submit written undertaking(s) to the University in the beginning of academic session that they shall not indulge into any act of ragging.

7. Declaration to be signed by a student

At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration on oath that he/she shall submit himself/herself to the disciplinary jurisdiction of the Vice Chancellor and other authorities of the University.

8. Constitution of the Board of Discipline

(i) The Boards of Discipline at the level of the University shall be constituted by the Vice Chancellor as follows:-

(a) Dean, Student Discipline

(b) Chief Warden of the University Hostels

(c) Two senior teachers of the University to be nominated by the Vice Chancellor, members

(d) One Senior lady teacher of the University to be nominated by the Vice-Chancellor, member

(e) Head of the concerned department/school and hostel warden to which the act of indiscipline or misconduct by a student or students pertains to. The Dean, Student Discipline, in case feels that input from the student(s) are required for better examination of a case, may do so by calling the student(s).

(f) Assistant Registrar (Academic) shall be the Member Secretary of the Board of Discipline.

(ii) The members of the board including Dean, Student Discipline shall hold office for a period of two years and a vacancy occurring in the Board of Discipline shall be filled for the remaining period of the term of the member whose department has caused the vacancy.

(iii) Three members of the Board of discipline including the Dean, Student Discipline, shall form the quorum.

(iv) In the absence of the Dean, Student Discipline, the senior most member of the Board of Discipline shall act as the Chairman.

9. Functions of the Board of Discipline

(i) The Board of Discipline shall perform the following functions:-

(a) To consider matters concerning maintenance of discipline among the students in the University.

(b) To enquire into the acts of indiscipline or misconduct committed by a student or students whenever such cases are referred to the Board of Discipline and to submit their findings, conclusions and recommendations for the quantum of punishment under the provision of this ordinance to the Vice Chancellor or the person authorized by the Vice Chancellor in this behalf.

(c) To supervise and monitor the disciplinary climate prevailing in the University.

(d) To take preventative and precautionary steps such as issue of notices, warning, instructions etc. as the case may be, for the purpose of forestalling acts of individual or collective indiscipline, misconduct and ragging etc.

(e) To maintain liaison with the police authorities and the concerned departments of the Government, neighboring institutions and the concerned authorities of the University regarding maintenance of law and order in the University as the case may be.

(f) To perform such other functions as may be assigned to it by the Vice Chancellor from time to time.

(ii) The decision in each case shall be conveyed by the Dean, Student Discipline communicating the penalty or penalties, if any, imposed on a student or students.

(iii) A student or students who are aggrieved with the penalty imposed upon them, may appeal to the vice chancellor whose decision in this regard shall be final and binding upon the parties.

10. Subject to the provisions of the Act, Statutes and Ordinances, the issues not covered in this Ordinances or in the event of differences of interpretation, the Vice Chancellor may take a decision, after obtaining the opinion of a Committee consisting of any or all the Deans of the University. The decision of the Vice Chancellor shall be final.

11. In special circumstances, the Vice Chancellor may, on behalf of the Board of Management, approve amendment, modification, insertion or deletion of an Ordinance(s), which in his opinion is necessary or expedient for the smooth functioning of a program, provided that all such changes shall be reported to the Board of Management in its next meeting for ratification.

By Order and in the Name of Board of Management of
Delhi Technological University,

Prof. MADHUSUDAN SINGH, Registrar

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA